2026:RJ-JP:21683

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3800/2012

1. Smt. Vibha Chaturvedi Wife of Late Dr. Puneet Sharma, Aged 38 Years
2. Naman Sharma Son of Late Dr. Puneet Sharma, Aged 10 Years, Minor Through His Natural Guardian And Mother Smt. Vibha Chaturvedi Wife of Late Dr. Puneet Sharma, Aged 38 Years
   Both Residents of E-704, Mahima IRIS-II, Swej Farm, Shyam Nagar, Near New Sanganer Road, Jaipur (Raj.)

----Claimants Appellants

Versus

1. Ratiram Son of Shri Hajari Ram, Resident of Jaisinghpura Bhaislana, P.S. Kotputli, District Jaipur (Raj.) (Driver)
2. Pappu Ram Son of Shri Ghasi Ram Yadav, Resident of Dhani Kalsa Kosla, Tan Kheda Shyampura, P.S. Bansur, District Alwar (Raj.)
   (Owner)
3. The Reliance General Insurance Company Limited, 405-408, Chauthi Manjil, Green House, Ashok Marg, Near Ahinsa Circle, C-Scheme, C-Scheme, Jaipur Through Regional Manager.
   ----Non-Claimants-Respondents
4. Dr. Mohan Lal Sharma Son of Late Shri Bhuramal, Aged 77 Years, Resident of 7, Doctors Colony, Chat House Gali, Trimurti Circle, P.S. Moti Doongari, Jaipur (Raj.)
5. Dr. Smt. Usha Sharma Wife of Dr. Mohan Lal Sharma, Aged 68 Years, Resident of 7, Doctors Colony, Chat House Gali, Trimurti Circle, P.S. Moti Doongari, Jaipur (Raj.)

----Claimants-Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Sandeep Mathur, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Virendra Agrawal, Adv. with Ms. Anjali Assat, Adv. & Mr. Amit Agrawal, Adv. (for Insurance Company) Mr. Tanmay Dhand, Adv. with Mr. Dariya Singh (for respondent Nos. 4 and 5)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

DATE OF CONCLUSION OF ARGUMENTS	::	**08/05/2026**
DATE OF RESERVED	::	**08/05/2026**
FULL/OPERATIVE PART PRONOUNCED	::	**FULL**
DATE OF PRONOUNCEMENT	::	**22/05/2026**

1. अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील धारा–173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत **न्यायालय मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण एवं अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) क्रम संख्या–6, जयपुर महानगर, जयपुर** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–46/2009, श्रीमती विभा चतुर्वेदी व अन्य बनाम श्री रतीराम व अन्य** में पारित **निर्णय दिनांक 13.07.2012** (जिसे आगे 'आलोच्य निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना में **डॉ. पुनीत शर्मा** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 5,92,20,992/– रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण के पक्ष में **कुल 43,02,000/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित करते हुए उपरोक्त निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि में से 50 प्रतिशत राशि मृतक की योगदायी उपेक्षा के फलस्वरूप काटी जाकर याचीगण को **कुल 21,51,000/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि **मय ब्याज 07 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आलोच्य निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि मामले की घटना के तथ्यों के अनुसार मृतक अपनी कार से अपनी सही दिशा में चल रहा था, जबकि वाहन ट्रक नम्बर आरजे–32–जी–1662 (जिसे आगे 'प्रश्नगत वाहन' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के चालक द्वारा प्रश्नगत वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर तथा मृतक की कार से ओवरटेक करते हुए आगे निकलकर अचानक ब्रेक लगा देने के कारण घटित हुई है, जिसमें मृतक

कार चालक की कोई गलती नहीं रही है। उनका यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आय वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श–27 के अनुसार 3,10,000/– रुपये वार्षिक निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गई है, जबकि मृतक की आय के संबंध में आयकर विवरणिकाएं पत्रावली पर पेश की गई थी, जिसके आधार पर मृतक की आय निर्धारित की जानी चाहिए थी। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आयकर विवरणिकाओं पर विश्वास नहीं कर त्रुटि कारित की गई है। उनका यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/4 के स्थान पर 1/3 भाग की कटौती की जाकर त्रुटि कारित की गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में व अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गई है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गई। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय का ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया गया :–

- **K.K. Jain & Anr. Vs. Masroor Anwar & Ors.** reported in **1990 ACJ 299**
- **Usha & Ors. Vs. Rajesh & Ors.** reported in **2011 ACJ 436**
- **T. Subramaniam & Ors. Vs. Banwari Gurjar & Ors.** reported in **2010 ACJ 656**
- **Oriental Insurance Company Co. Ltd. Vs. Kamli & Ors.** reported in **2010 ACJ 1340**
- **Smt. Mamta Devi & Ors. Vs. Rajesh Choudhary & Ors.** reported in **2022(1) R.A.R. 155 (Raj.) &**
- **Laxmi and Company Vs. Savitri Devi (Loyalka) and Ors.** reported in **1990 ACJ 450.**

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्तागण प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि हस्तगत मामले की घटना में मृतक स्वयं उपेक्षापूर्ण तरीके से कार चलाने का दोषी रहा है, जिसके द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाया जाकर प्रश्नगत वाहन के पीछे से टक्कर मारी गई है। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखा गया है कि ट्रक वाले ने अचानक ब्रेक लगा दिये, जबकि क्लेम याचिका में लिखा है कि ट्रक वाले ने ओवरटेक किया और फिर कार के आगे आकर अचानक ब्रेक लगा दिये, उपरोक्त दोनों ही कथनों में

विरोधाभास है, जिससे सम्पूर्ण घटना संदेहास्पद प्रतीत होती है। उपरोक्त स्थिति में विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की जो 50 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा मानी गयी है, उसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण द्वारा संस्थित अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी द्वारा न्यायालय का ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया गया :—

- **Nishan Singh Vs. Oriental Insurance Company Ltd. through Regional Manager & Ors.** reported in **(2018) 6 SCC 765.**

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी द्वारा मुख्यतः यह आपत्ति ली गई है कि मामले की घटना में स्वयं मृतक की उपेक्षा व लापरवाही रही है, इस कारण विद्वान अधिकरण द्वारा मामले की घटना में जो 50 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा निर्धारित की गयी है, वह सही है, उसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटित हुई है। प्रश्नगत वाहन चालक द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मृतक की कार से ओवरटेक करते हुए आगे निकालने के पश्चात् प्रश्नगत वाहन के चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगा देने के कारण घटित हुई है। इस संबंध में प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से मामले के अनुसंधान अधिकारी को गवाह एन.ए.डब्ल्यू—1 के रूप में न्यायालय में परीक्षित करवाया गया है। गवाह ने अपनी जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दुर्घटना में गलती ट्रक चालक की मानी गयी थी। ट्रक चालक ने ओवरटेक करते हुए कार के आगे आने के बाद अचाकन ब्रेक लगा दिये, जिससे कार, ट्रक में घुस गई। उपरोक्त गवाह को स्वयं बीमा कम्पनी द्वारा साक्ष्य में परीक्षित करवाया गया है, जिसने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मामले की घटना में गलती स्वयं प्रश्नगत वाहन के चालक की रही है।

7. प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी द्वारा यह तर्क लिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखा गया है कि ट्रक वाले ने अचानक ब्रेक लगा दिये, जबकि

क्लेम याचिका में लिखा है कि ट्रक वाले ने ओवरटेक किया और फिर कार के आगे आकर अचानक ब्रेक लगा दिये, उपरोक्त दोनों ही कथनों में विरोधाभास है, जिससे सम्पूर्ण घटना संदेहास्पद मानी जावे। इस संबंध में हमारा मानना यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मौके पर उपस्थित चश्मदीद गवाह द्वारा दर्ज करवाई गई है, जिसने ट्रक चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगा दिये जाने से पीछे से आ रही सेन्ट्रो कार उसमें घुस जाने के कारण दुर्घटना कारित होना बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व याचिका में दृर्घटना का जो विवरण दर्ज किया गया है, उसमें हम कोई तात्विक विरोधाभास होना नहीं पाते हैं।

8. अनुसंधान के उपरांत प्रश्नगत वाहन चालक के खिलाफ अनुसंधान के उपरांत आरोप पत्र भी पेश किया जा चुका है। प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से प्रश्नगत वाहन के चालक को साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि प्रश्नगत वाहन चालक का मामले की दुर्घटना में कोई दोष नहीं रहा हो। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा यह देखते हुए कि मामले की घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटित हुई है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चलाते समय पीछे चलने वाले वाहन चालक का यह दायित्व होता है कि वह आगे चल रहे वाहन से उचित दूरी बनाकर चले। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हम, हस्तगत मामले की घटना में प्रश्नगत वाहन ट्रक के चालक की 75 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा तथा मृतक सेन्ट्रो कार चालक की 25 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा माना जाना उचित समझते हैं।

9. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 29.02.2008 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक पुनीत शर्मा को सरकारी चिकित्सक होना बताते हुए प्रतिमाह 25,390/— रुपये वेतन प्राप्त करना तथा प्राईवेट प्रेक्टिस कर 6,500/— रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त आय अर्जित करना बताया गया है। मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा मृत्यु की दिनांक को मृतक की वेतन स्पिल प्रदर्श—19, मृतक का पुनरीक्षित वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श—27 तथा मृतक की वित्तीय वर्ष 2004—2005/कर निर्धारण वर्ष 2005—2006 की आयकर विवरणिका प्रदर्श—24, वित्तीय वर्ष 2005—2006/कर निर्धारण वर्ष 2006—2007 की आयकर विवरणिका प्रदर्श—23, वित्तीय वर्ष 2006—2007/कर निर्धारण वर्ष 2007—2008 की आयकर विवरणिका प्रदर्श—22

तथा वित्तीय वर्ष 2007–2008/कर निर्धारण वर्ष 2008–2009 की आयकर विवरणिका प्रदर्श–21 पत्रावली पर पेश की गयी हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के पुनरीक्षित वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श–27 पर विश्वास करते हुए वक्त घटना मृतक की आय 3,10,000/– रुपये वार्षिक निर्धारित की गई है। जबकि मृतक की आय अंतिम आयकर विवरणिका के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए थी। मृतक की वित्तीय वर्ष 2004–2005/कर निर्धारण वर्ष 2005–2006 की आयकर विवरणिका प्रदर्श–24 में मृतक की कुल सकल आय 1,96,589/– रुपये, वित्तीय वर्ष 2005–2006/कर निर्धारण वर्ष 2006–2007 की आयकर विवरणिका प्रदर्श–23 में कुल सकल आय 3,05,494/– रुपये, वित्तीय वर्ष 2006–2007/कर निर्धारण वर्ष 2007–2008 की आयकर विवरणिका प्रदर्श–22 में कुल सकल आय 5,30,805/– रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2007–2008/कर निर्धारण वर्ष 2008–2009 की आयकर विवरणिका प्रदर्श–21 में कुल सकल आय 5,60,114/– रुपये दर्शायी गयी है, जिनमें मृतक की वार्षिक आय भिन्न–भिन्न वित्तीय वर्षों में घटती–बढ़ती रही है। घटना दिनांक 29.02.2008 की बताई गयी है तथा आयकर विवरणिकाएं प्रदर्श–22, 23 व 24 स्वयं मृतक द्वारा मृत्यु पूर्व दाखिल की गयी हैं तथा आयकर विवरणिका प्रदर्श–21 मृतक की मृत्यु के लगभग तीन माह पश्चात् दाखिल की गयी। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **Nidhi Bhargava (supra)** के मामले यह मत व्यक्त किया गया है कि :–

> "**12**. Just because on the date of the accident i.e., 12.08.2008, the Return for the Assessment Year 2008-2009 had not been filed, cannot disadvantage the appellants, for the reason that the period for which the Return is to be submitted covers the period starting 1st of April, 2007 and ending 31st March, 2008. Thus, for obvious reasons, the Return would be only for the period 01.04.2007 to 31.03.2008, and date of submission would be post-31.03.2008. No income earned beyond 31.03.2008 would reflect in the Income Tax Return for the Assessment Year 2008-2009. To reject the Return on the sole ground of its submission after the date of accident alone, in our

> considered view, cannot be legally sustained."

10. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मृतक की मृत्यु पश्चात् दाखिल की गयी आयकर विवरणिका पर विश्वास किया जाकर मृतक की आय निर्धारित की गयी है।

11. जहां तक आयकर विवरणिका के आधार पर आय निर्धारण का प्रश्न है तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **Malarvizhi & Ors. Vs. United India Insurance Company Limited & Ors.** reported in **(2020) 4 SCC 228** के मामले यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि :—

> "**10**. ....The tax return indicates an annual income of Rs 2,11,131 in the relevant assessment year. Mr Jayanth Muth Raj, learned Senior Counsel appearing on behalf of the appellant contended that other documents were marked which reflected the income of the deceased. We are in agreement with the High Court that the determination must proceed on the basis of the income tax return, where available. The income tax return is a statutory document on which reliance may be placed to determine the annual income of the deceased. To the benefit of the appellants, the High Court has proceeded on the basis of the income tax return for the assessment year 1997-1998 and not 1999-2000 and 2000-2001 which reflected a reduction in the annual income of the deceased."

12. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में यह मत व्यक्त किया है कि आयकर विवरणिका एक विधिक दस्तावेज है, जिसके आधार पर मृतक/आहत की आय निर्धारित की जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने उक्त न्यायिक दृष्टांत में मृतक की प्रस्तुत आयकर विवरणिकाओं में से सर्वाधिक आय वाली आयकर विवरणिका पर विश्वास किया जाकर क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया गया है। मृतक की मृत्यु के पश्चात् दाखिल की गयी वित्तीय वर्ष 2007—2008/कर निर्धारण वर्ष

2008—2009 की आयकर विवरणिका प्रदर्श—21 में मृतक की कुल सकल आय 5,60,114/— रुपये दर्शायी गयी है, जिसमें मृतक की सेलेरी से वार्षिक आय 3,06,738/— रुपये, प्राईवेट प्रेक्टिस से आय 74,414/— रुपये, अन्य स्त्रोंतो से आय 1,46,567/— रुपये तथा बचत खाते से प्राप्त ब्याज राशि 32,395/— रुपये अंकित की गई है। मृत्यु के समय मिलने वाले मृतक की वेतन स्लिप प्रदर्श—19 में मृतक की आय 25,390/— रुपये मासिक अंकित की गई है, जिसके अनुसार मृतक की वार्षिक आय 3,04,680/— रुपये होती है तथा मृतक की आयकर विवरणिका प्रदर्श—21 में मृतक की सेलेरी से होने वाली वार्षिक आय 3,06,738/— रुपये दर्शायी गयी है। ऐसी स्थिति में हम, **Nidhi Bhargava (supra)** व **Malarvizhi (supra)** के मामले में पारित मत से सहमत होते हुए मृतक की आयकर विवरणिका प्रदर्श—21 पर विश्वास किया जाकर मृतक की सेलेरी से होने वाली **वार्षिक आय 3,06,738/— रुपये** तथा प्राईवेट प्रेक्टिस से प्राप्त होने वाली **वार्षिक आय 74,414/— रुपये,** इस प्रकार कुल **वार्षिक आय 3,81,152/— रुपये** निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं।

13. जहां तक आयकर कटौती का प्रश्न है तो इस संबंध में आयकर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2007—2008/कर निर्धारण वर्ष 2008—2009 में 1,10,000/— रुपये तक की आय पर आयकर शून्य व 1,10,001/— रुपये से 1,50,000/— रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत आयकर, 1,50,001/— रुपये से 2,50,000/— रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत आयकर तथा 2,50,000/— रुपये व उससे अधिक की आय पर 30 प्रतिशत आयकर देय था। इस प्रकार मृतक की कुल निर्धारित वार्षिक आय 3,81,152/— रुपये में से 1,10,001/— रुपये की राशि घटाने के उपरांत मृतक की शेष वार्षिक आय 2,71,151/— रुपये रहती है, जिसका निर्धारित टैक्स स्लैब के अनुसार कुल आयकर 30,345/— रुपये होता है, उक्त आयकर राशि को मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 3,81,152/— रुपये में से घटाने के उपरांत मृतक की कुल वार्षिक आय 3,50,807/— रुपये होती है। उपरोक्त वार्षिक आय में से मृतक द्वारा प्राईवेट प्रेक्टिस से की जाने वाली वार्षिक आय

74,414/– रुपये को घटाया जाकर मृतक की सेलेरी से होने वाली वार्षिक आय 2,76,393/– रुपये शेष रहती है।

14. क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को राजकीय अस्पताल में नियुक्त 38 वर्ष की आयु का होना बताया गया है। चूंकि वक्त घटना मृतक 38 वर्ष आयु का वेतन भोगी व्यक्ति था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** के अनुसार मृतक की सेलेरी से होने वाली निर्धारित वार्षिक आय 2,76,393/– रुपये पर 50 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार निर्धारित आय 2,76,393/– रुपये का 50 प्रतिशत 1,38,196/– रुपये होता है। उक्त 50 प्रतिशत राशि को मृतक की निर्धारित आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतक की सेलेरी से कुल वार्षिक आय 4,14,589/– रुपये होती है।

15. वक्त घटना मृतक को प्राईवेट प्रेक्टिस कर कुल 74,414/– रुपये की अतिरिक्त वार्षिक आय अर्जित करना भी माना गया है। चूंकि वक्त घटना मृतक 38 वर्ष आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्राईवेट प्रेक्टिस से निर्धारित वार्षिक आय 74,414/– रुपये पर 40 प्रतिशत अर्थात् 29,766/– रुपये की बढ़ोतरी की जाकर मृतक की प्राईवेट प्रेक्टिस से कुल आय 1,04,180/– रुपये होती है। मृतक की सेलेरी से होने वाली वार्षिक आय 4,14,589/– रुपये तथा प्राईवेट प्रेक्टिस से होने वाली वार्षिक आय 1,01,180/– रुपये, इस प्रकार उपरोक्त दोनों निर्धारित आय को जोड़ते हुए मृतक की कुल वार्षिक आय 5,18,769/– रुपये निर्धारित की जाती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

16. वक्त घटना मृतक के ऊपर कुल 04 आश्रित बताए गए हैं, जिनमें अपीलार्थी संख्या–1 मृतक की पत्नी, अपीलार्थी संख्या–2 मृतक का पुत्र है तथा दावाकर्ता/रेस्पोंडेंट संख्या–4 व 5 मृतक के पिता व माता है। किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग की कटौती की जाकर त्रुटि कारित की गयी है। जबकि मृतक के माता–पिता को भी वक्त घटना मृतक पर आश्रित माना जाना आवश्यक था।

ऐसी स्थिति में यह न्यायालय मृतक के माता–पिता को भी वक्त घटना मृतक पर आश्रित मानते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/4 भाग की कटौती किया जाना उचित समझता है। तद्नुसार मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 5,18,769/– रुपये का 1/4 भाग 1,29,692/– रुपये होता है, जिसे निर्धारित वार्षिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 3,89,077/– रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 38 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रासंपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 15 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित आय पर 16 का गुणक लगाया जाकर त्रुटि कारित की गई है। तद्नुसार मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 3,89,077/– रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की **कुल क्षति 3,89,077 x 15 = 58,36,155/– रुपये** होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

17. विद्वान अधिकरण द्वारा समस्त अपीलार्थीगण को एकमुश्त 25,000 रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/– रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

18. हस्तगत मामले की घटना वर्ष 2008 की बताई गयी है। ऐसी स्थिति यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए, मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या–1 को

''स्पाउस कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/– रुपये, मृतक के पुत्र अपीलार्थी संख्या–2 को ''पैरेण्टल कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/– रुपये तथा मृतक के पिता व माता दावाकर्ता/रेस्पोंडेंट संख्या–4 व 5 को ''फिलियल कंसोर्टियम'' की मद में प्रत्येक को 40,000/– रुपये (कुल 1,60,000/– रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

19. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 5,000/– रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो कम है। अतः अंतिम संस्कार की मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000/– रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

20. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को सम्पदा की हानि के मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः सम्पदा की हानि के मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000/– रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

21. हस्तगत मामले की घटना में प्रश्नगत वाहन ट्रक नम्बर आरजे–32–जी–1662 के चालक की 75 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा तथा सेन्ट्रो कार चालक मृतक **डॉ. पुनीत शर्मा** की 25 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा मानी गयी है।

22. तदनुसार दावाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा दावाकर्तागण के पक्ष निर्धारित की गई **कुल 43,02,000/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि में से मृतक चालक **डॉ. पुनीत शर्मा** की 50 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा मानते हुए दावाकर्तागण को **कुल 21,51,000/– रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर मृतक सेन्ट्रो कार चालक **डॉ पुनीत शर्मा** की 25 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा निर्धारित करते हुए, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि **60,26,155/– रुपये** में से 25 प्रतिशत अर्थात् **15,06,539/– रुपये** की राशि बतौर योगदायी उपेक्षा के फलस्वरूप काटी जाकर **कुल 45,19,616/– रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। दावाकर्तागण द्वारा पूर्व

में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि दावाकर्तागण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं। दावाकर्तागण को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी।

23. इस निर्णय द्वारा योगदायी उपेक्षा के पश्चात् निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से दावाकर्तागण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

24. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित विद्वान अधिकरण को अविलम्ब लौटाया जावे।

25. तदनुसार उपरोक्त अपील निस्तारित की जाती हैं।

26. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ/6